मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 को पुर: स्थापित रूप में.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०१५

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०१५

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. परिभाषाएं.
३. विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन.
४. विश्वविद्यालय के लक्ष्य तथा उद्देश्य.
५. विश्वविद्यालय की अधिकारिता.
६. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.
७. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.
८. कुलाधिपति.
९. कुलपति.
१०. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
११. निदेशक.
१२. संकायाध्यक्ष.
१३. संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण.
१४. कुल सचिव.
१५. वित्त नियंत्रक.
१६. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
१७. शासी निकाय.
१८. शासी निकाय का गठन.
१९. शासी निकाय की शक्तियां तथा कृत्य.
२०. कार्य परिषद्.
२१. कार्य परिषद् का गठन.
२२. कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२३. विद्या परिषद्.
२४. विद्या परिषद् का गठन.
२५. विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२६. वित्त समिति.
२७. प्राध्ययन स्कूल.
२८. निदेशालय.
२९. परिनियम.
३०. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३१. अध्यादेश.
३२. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३३. विनियम.
३४. विनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३५. वार्षिक रिपोर्ट.
३६. लेखाओं की संपरीक्षा.
३७. विश्वविद्यालय की निधि.
३८. उपाधि तथा उपाधिपत्र.
३९. सम्मानिक उपाधियां.
४०. उपाधियों इत्यादि का प्रत्याहरण.
४१. कठिनाईयों का दूर किया जाना.
४२. अस्थायी उपबंध.
४३. संरक्षण.
४४. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध.
४५. अधिक्रमण तथा व्यावृत्ति.
४६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०१५

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०१५

शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिये सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों के समस्त स्वरूपों में उच्चतर शिक्षा, गवेषणा, विस्तार और प्रशिक्षण को गति देने के लिए तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला इंदौर, मध्यप्रदेश में सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने तथा उससे संसक्त एवं उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५ है.

परिभाषाएं

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''विद्या परिषद्'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;

(ख) ''कुलाधिपति'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(ग) ''संकायाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के स्कूल का संकायाध्यक्ष;

(घ) ''संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;

(ङ) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का विभाग;

(च) ''संचालक'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का विस्तार एवं प्रशिक्षण संचालक;

(छ) ''कार्य परिषद्'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;

(ज) ''वित्त नियंत्रक'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक;

(झ) ''शासी निकाय'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का शासी निकाय;

(ञ) ''हाल'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई संधारित या मान्यताप्राप्त निवास इकाई, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो;

(ट) ''विहित'' से अभिप्रेत है, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित;

(ठ) ''मान्यताप्राप्त संस्था'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या मान्यताप्राप्त या उसके साथ संबद्ध कोई उच्च शिक्षण संस्था;

(ड) ''कुल सचिव'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुल सचिव;

(ढ) ''केन्द्र'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित केन्द्र;

(ण) ''परिनियमों'', ''अध्यादेशों'' और ''विनियमों'' से अभिप्रेत है, तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम;

(त) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन स्थापित डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय;

(थ) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा ४ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(द) ''कुलपति'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलपति;

विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन.

३. (१) मध्यप्रदेश राज्य में ''डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय'' के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा.

(२) विश्वविद्यालय का मुख्यालय डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला इंदौर, मध्यप्रदेश में होगा.

(३) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.

विश्वविद्यालय के लक्ष्य तथा उद्देश्य.

४. (१) विश्वविद्यालय का लक्ष्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए, सामाजिक विज्ञान परिप्रेक्ष्य के एकीकरण तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी उन्नयन के साथ रचनात्मक अभिगम द्वारा सामाजिक विज्ञान एवं अन्य विषयों में उच्च शिक्षा, गवेषणा, विस्तार और प्रशिक्षण को प्रोन्नत करना है.

(२) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

(एक) शिक्षण, गवेषणा और विस्तार के माध्यम से उभरती विचारधारा एवं उपागम, उन्नत ज्ञान, बुद्धि और समझ का प्रसार करना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास पर केन्द्रित नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने एवं लागू करने में भी कृत्यकारियों को संवेदनशील बनाना एवं प्रशिक्षित करना;

(दो) अध्ययन की ऐसी शाखाओं में ज्ञान को, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करती हों, संस्थागत एवं गवेषणा सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्नत करना;

(तीन) शिक्षण, गवेषणा, विस्तार तथा प्रशिक्षण गतिविधियों में संकाय एवं छात्रों की अंतर्राष्ट्रीय अवस्थिति के अतिरिक्त जाति, मूलवंश, रंग, धर्म, सजातीयता, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पर, सामाजिक-आर्थिक विकास, सामाजिक रूप से कलंकित प्रथाओं, सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वासों, विभेदकारी प्रथाओं के उन्मूलन के लिए, विकसित देशों में उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी एवं तकनीक, आधुनिक साधन एवं पद्धति, प्रतिकृति एवं मापदंडों, रणनीतियों एवं दृष्टिकोण, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के उच्च शिक्षण के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं संगठनों के सहयोग से नेटवर्क स्थापित करना;

(चार) उपेक्षित वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के लिए, तकनीकी तथा अन्य विषयों जिसमें अभियांत्रिकी, चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन अध्ययन, कृषि तकनीकी और ग्रामीण शिल्पकर्म की मूल सीमाओं में सामाजिक विज्ञान तथा समुचित कार्यक्रमों में परास्नातक एवं उच्चतर स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम आयोजित करना;

(पांच) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा उन विभिन्न सामाजिक विचारकों एवं सुधारकों के, जिन्होंने की गई कल्पना के अनुसार सामाजिक रूप से अलाभ वाले वर्गों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास और उनके सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, विचारों और दर्शन का अध्ययन करना;

(छह) जाति प्रथा से इसके विभिन्न पहलुओं जैसे कार्योत्पादन निरन्तरता और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध से उत्पन्न होने वाली सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक असमानता, निर्योग्यता और विभेद के तथ्य का उपयुक्त उपचारी उपायों का पता लगाने हेतु अध्ययन करना;

(सात) सामाजिक-आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक बुराईयों, सामाजिक विषमताओं और अन्याय के उन्मूलन पर केन्द्रित सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के साथ तकनीकी उन्नयन के सम्मिलन द्वारा नवप्रवर्तनात्मक रणनीतियां खोजना;

(आठ) छात्रों और अध्यापकों तथा नागरिकों के बीच भी देश की सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता एवं समझ प्रोन्नत करना और ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें तैयार करना;

(नौ) विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान तथा तकनीकी में शिक्षा, गवेषणा, विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विशेष उपबंध करना;

(दस) सामाजिक रूप से अलाभ वाले वर्गों के विकास तथा सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही राज्य और केन्द्र सरकार तथा अन्य संगठनों को परामर्श एवं सलाह देना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यों और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुसार अन्य सुसंगत साहित्य का प्रलेखन करना, प्रकाशित करना और प्रसार करना;

(बारह) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हो.

विश्वविद्यालय की अधिकारिता.

५. (१) विश्वविद्यालय की अधिकारिता संपूर्ण मध्यप्रदेश पर होगी.

(२) विश्वविद्यालय, शासी निकाय के अनुमोदन से अपनी शिक्षा, गवेषणा विस्तार तथा प्रशिक्षण की गतिविधियों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य के बाहर या विदेश में जिसमें विदेशी छात्र सम्मिलित हैं, किसी संस्था के साथ सहयोग कर सकेगा.

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.

६. विश्वविद्यालय, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग अथवा कृत्यों का पालन करने में भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म-स्थान, राजनैतिक या अन्य अभिमत के आधार पर या उनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा.

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.

७. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) शिक्षा, गवेषणा, विस्तार एवं प्रशिक्षण के लिए विभाग/केन्द्र और ऐसी अन्य इकाईयां स्थापित करना जैसी कि इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक हों;

(दो) वहिर्वर्ती शिक्षण, विस्तार एवं प्रशिक्षण गतिविधियां, व्यक्तित्व एवं कौशल विकास, क्षमता निर्माण और उपचारी पाठ्यक्रम आयोजित करना एवं उनका जिम्मा लेना;

(तीन) शिक्षण के लिए जिसमें दूरस्थ शिक्षा में अध्ययन की ऐसी शाखाएं सम्मिलित हैं जिन्हें कि विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, व्यवस्था करना और गवेषणा के लिये एवं ज्ञान के उन्नयन एवं प्रसार के लिए उपबंध करना;

(चार) प्रवेश के लिये परीक्षा आयोजित करना और व्यक्तियों को उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना और ऐसे किन्हीं उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का युक्तियुक्त तथा पर्याप्त कारणों से प्रत्याहरण करना;

(पांच) अध्यादेश में अभिकथित रीति से सामाजिक उपाधियां या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(छह) ऐसे अध्यापन, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य पदों का सृजन करना जो कि विश्वविद्यालय समय-समय पर, आवश्यक समझे और उन पर नियुक्तियां करना;

(सात) आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य के रूप में व्यक्तियों को नियुक्त करना या अन्यथा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के रूप में मान्यता देना;

(आठ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अभिनन्दन तथा पुरस्कार संस्थित करना तथा प्रदान करना;

(नौ) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और बौद्ध धर्म की विचारधारा, विचार, दर्शन तथा सिद्धांतों पर लेखन और व्याख्यान, साहित्य के संदर्भ में संग्रहालय, कला विधि, पुस्तकालय सृजित करना;

(दस) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित करना एवं उसका पालन करवाना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो कि आवश्यक समझे जाएं;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के छात्रों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन पर परस्पर सहमति हो, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो कि समय-समय पर विहित किए जाएं, उन उद्देश्यों को प्रोन्नत करने की दृष्टि से, जो कि विश्वविद्यालय के समान हो, भारत तथा विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकारी या कोई सार्वजनिक अथवा निजी निकाय के साथ सहयोग करना;

(तेरह) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों के साथ अनुदान प्राप्त करने और किसी अन्य संस्था के विश्वविद्यालय में निगमन के लिये भी और इसके अधिकार, संपत्तियां प्राप्त करने और किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिये जो इस अधिनियम से असंगत न हो, कोई करार करना;

(चौदह) ऐसे शुल्क तथा अन्य प्रभार, जिसमें समय-समय पर यथाविहित स्ववित्तीय पाठ्यक्रम सम्मिलित है, की मांग करना तथा भुगतान प्राप्त करना;

(पन्द्रह) दान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए कोई चल-अचल संपत्ति जिसमें मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अथवा बाहर स्थित न्यास अथवा विन्यास संपत्ति सम्मिलित है, अर्जित करना, धारण करना और व्ययन करना, और निधियों का ऐसी रीति में निवेश करना, जैसी कि विश्वविद्यालय उचित समझे.

(सोलह) शोध एवं सलाहकारी एवं परामर्शी सेवाओं के लिये उपबंध करना और उस प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसे करार करना जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(सत्रह) शोध तथा अन्य कार्यों के, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाएं, मुद्रण प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(अठारह) राज्य सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के मामलों के प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(उन्नीस) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को प्राप्त करने या उसमें अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक हों.

कुलाधिपति.

८. (१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा.

(२) वह उपाधि प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और शासी निकाय के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.

कुलपति.

९. (१) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों के साथ जैसा कि परिनियमों में विहित किया जाए, पांच वर्ष की कालावधि अथवा ७० वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, के लिए की जाएगी.

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा और कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा.

(३) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, कुलपति उपाधि प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह और शासी निकाय के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

१०. विश्वविद्यालय के अधिकारियों में संचालक, अध्ययन केन्द्र का संकायाध्यक्ष. संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, कुल सचिव, वित्त नियंत्रक और ऐसे अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे, जिन्हें कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए.

निदेशक.

११. एक निदेशक होगा, जो ऐसी रीति में, ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों, जिसमें प्रशिक्षण तथा विस्तार सम्मिलित है, सहित नियुक्त किया जाएगा जैसा कि विनियमों में विहित किया जाए.

संकायाध्यक्ष.

१२. प्रत्येक केन्द्र के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा, जो ऐसी रीति में, ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों सहित नियुक्त किया जाएगा जो कि विनियमों में विहित किए जाएं.

संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण.

१३. एक संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण होगा, जो ऐसी रीति में ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों सहित नियुक्त किया जाएगा, जो कि विनियमों में विहित किए जाएं.

कुलसचिव.

१४. एक कुलसचिव होगा, जो शासी निकाय, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा और जो मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, १९८३ में यथाविर्निदष्ट रीति में, इसके सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा. उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य विनियमों में विहित किए जा सकेंगे.

वित्त नियंत्रक

१५. एक वित्त नियंत्रक होगा जो वित्त समिति का सचिव होगा और मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, १९८३ में यथाविनिर्दिष्ट रीति में नियुक्त किया जाएगा. उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य विनियमों में विहित किए जा सकेंगे.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

१६. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:—

(एक) शासी निकाय;
(दो) कार्य परिषद;
(तीन) विद्या परिषद्;
(चार) वित्त समिति; और
(पांच) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

शासी निकाय.

१७. (१) मध्यप्रदेश के राज्यपाल की अध्यक्षता में शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा. पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा. अशासकीय सदस्य, कुलपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे.

(२) शासी निकाय को कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी (सिवाय तब के जब कि इन अधिकारियों ने इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य किया हो) और वह विश्वविद्यालय की उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यदेशों या विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हों:

परन्तु इस उपधारा के अधीन पुनर्विलोकन की शक्ति का, शासी निकाय के कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के सिवाय प्रयोग नहीं किया जाएगा.

(३) शासी निकाय की बैठक हेतु गणपूर्ति शासी निकाय के एक-तिहाई सदस्यों से कम से नहीं होगी.

शासी निकाय का गठन.

१८. विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:

(एक) विश्वविद्यालय का कुलाधिपति—अध्यक्ष
(दो) विश्वविद्यालय का कुलपति—उपाध्यक्ष

पदेन सदस्यः

(तीन) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अथवा उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;

(चार) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग अथवा उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;

(पांच) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग अथवा उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;

(छह) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;

(सात) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग अथवा अतिरिक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;

(आठ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती ;

(नौ) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् का अध्यक्ष या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के निदेशक से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;

(दस) सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, नई दिल्ली का संयुक्त सचिव या उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;

(ग्यारह) निदेशक, डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली;

(बारह) विश्वविद्यालय के विस्तार एवं प्रशिक्षण का निदेशक;

(तेरह) विश्वविद्यालय के तीन संकायाध्यक्ष जो चक्रानुक्रम आधार पर तीन वर्ष के लिए कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;

(चौदह) विश्वविद्यालय का कुल सचिव—सचिव.

अशासकीय सदस्य

(पन्द्रह) दो ख्याती प्राप्त सामाजिक वैज्ञानिक जिनमें से कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हो और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में शैक्षणिक या गवेषणा का अनुभव रखता हो;

(सोलह) दो ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हो तथा ख्याति प्राप्त शासकीय/अशासकीय संगठनों से सहयुक्त हो तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में अनुभव रखते हों.

शासी निकाय की शक्तियां तथा कृत्य.

१९. (१) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शासी निकाय समस्त आवश्यक कार्रवाईयां करेगा.

(२) शासी निकाय, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा—

(एक) विश्वविद्यालय के परिनियम बनाना एवं उन्हें संशोधित करना;

(दो) प्रगति का पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना;

(तीन) कार्य परिषद् या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी निकाय के किसी प्रस्ताव, सिफारिश, विनिश्चय या प्रतिवेदन को स्वीकार करना, रद्द करना, पुनर्विलोकन करना, अभिखंडित करना या उसे वापस निर्दिष्ट करना;

(चार) अध्यादेश में संशोधन को प्रस्तावित करना;

(पांच) शासी निकाय के सदस्यों के अतिरिक्त विशेष आमंत्रिती के रूप में और व्यक्तियों को आमंत्रित करना;

(छह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो कि अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं.

कार्य परिषद्.

२०. (१) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की कार्यकारी निकाय होगी.

(२) पदेन सदस्यों के अलावा कार्यकारी परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, अशासकीय सदस्यों का नामनिर्देशन, कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष द्वारा शासी निकाय के अशासकीय सदस्यों में से किया जाएगा.

(३) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के सामान्य प्रबंध तथा प्रशासन (जिसमें राजस्व एवं संपत्ति सम्मिलित हैं) की प्रभारी होगी.

(४) बैठक हेतु गणपूर्ति कार्य परिषद् के कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों से होगी.

कार्य परिषद् का गठन.

२१. विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा :—

(एक) विश्वविद्यालय का कुलपति — अध्यक्ष;

पदेन-सदस्य

(दो) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का न हो;

(तीन) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग या उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;

(चार) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग या उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;

(पांच) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;

(छह) अध्यक्ष (चेयरपर्सन), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के संचालक से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;

(सात) निदेशक, विश्वविद्यालय विस्तार एवं प्रशिक्षण;

(आठ) विश्वविद्यालय के तीन संकायाध्यक्ष जो शासी निकाय के सदस्य हों.

(नौ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव—सचिव;

अशासकीय-सदस्य

(दस) दो ख्याति प्राप्त समाज विज्ञानी जो शासी निकाय के सदस्य हैं;

(ग्यारह) दो ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो शासी निकाय के सदस्य हैं;

कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.

२२. (१) कार्य परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करेगी—

(एक) समय-समय पर विश्वविद्यालय के अध्यादेश एवं परिनियमों से अनअसंगत विनियम बनाना एवं उन्हें संशोधित करना;

(दो) शिक्षक वर्ग के पदों के वेतनमान के साथ-साथ अर्हताएं, पारिश्रमिक, कर्तव्य, सेवा शर्तें, अनुशासनिक तथा अपील प्राधिकारी सृजित करना तथा वर्गीकृत करना तथा निर्धारित करना;

(तीन) ग्रंथपाल, आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य और शिक्षक वर्ग के उतने अन्य सदस्यों को, इस प्रयोजन हेतु विनियमों द्वारा गठित की गई चयन-समिति की सिफारिश पर, समय-समय पर नियुक्त करना जो कि आवश्यक हों:

परंतु शैक्षणिक पदों का सृजन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा;

(चार) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रशासकीय, लिपिकीय एवं अन्य आवश्यक पदों को सृजित करना तथा इन पदों की न्यूनतम अर्हताएं तथा परिलब्धियां निर्धारित करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, निवेश, संपत्ति और सभी अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबंध करना तथा उन्हें विनियमित करना तथा उस प्रयोजन के लिये उतने अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना जितने कि वह आवश्यक समझे;

(छह) क्रय, दान, विनिमय, पट्टे, भाड़े द्वारा या अन्यथा ऐसी चल या अचल संपत्ति या निधियां अर्जित करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों तथा अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों;

(सात) विश्वविद्यालय की किसी चल या अचल संपत्ति को बेचना, बंधक रखना, भारित करना/पट्टे पर देना, विनिमय करना या अन्यथा अंतरण या व्ययन करना;

(आठ) बांड, डिबेंचर और वचन पत्रों या अन्य बाध्यताओं या विश्वविद्यालय की प्रतिभूतियों पर, विश्वविद्यालय की किसी स्थावर अथवा जंगम सम्पत्ति के बंधक, भार, आड़मान अथवा गिरवी द्वारा ऐसे धन जुटाना अथवा उधार लेना जो कि विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों;

(नौ) शिक्षक वर्ग के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में जांच के प्रतिवेदन पर विचार करना, जहां विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार दीर्घ दण्ड प्रस्तावित हो;

(दस) अध्यादेश में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में अपील प्राधिकारी के रूप में कृत्य करना;

(ग्यारह) (क) वार्षिक प्रतिवेदन;
(ख) वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षक का प्रतिवेदन;
(ग) वार्षिक बजट;
पर विचार करना तथा उनका अनुमोदन करना.

(बारह) बजट में यथा अनुमोदित, आवर्ती और अनावर्ती मदों पर व्यय मंजूर करना;

(तेरह) एक बजट शीर्ष से दूसरे बजट शीर्ष में निधियों को पुनर्विनियोजित करना;

(चौदह) शासी निकाय के समक्ष विचारण हेतु रखे जाने से पूर्व समस्त मामलों की छंटनी कर उनकी अनुशंसा करना;

(पंद्रह) कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा नियत ऐसी सीमाओं से अधिक मौद्रिक मूल्य के अभियांत्रिक कार्यों, पूंजीगत उपस्कर के क्रय और योजनाओं तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुमोदन प्रदान करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा तथा उपयोग हेतु उपबंध करना;

(सत्रह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जैसे कि शासी निकाय द्वारा उसे प्रदत्त या प्रत्यायोजित किए जाएं;

(अठारह) विश्वविद्यालय के कुलपति को या उसके द्वारा नियुक्त समिति को, जिसे कि वह उचित समझे, अपनी किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित करना.

(२) **कार्य परिषद् :**

(एक) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति तथा अभिवृद्धि हेतु नये विभागों, अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों, विस्तार तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सृजन कर सकेगी.

(दो) राज्य सरकार के वित्त विभाग के निर्बाधन के अध्यधीन रहते हुए, नवीन विद्यालयों, संचालनालयों तथा संस्थाओं के सृजन हेतु शासी निकाय को अनुशंसा कर सकेगी.

विद्या परिषद्.

२३. (१) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की उच्चतम शैक्षणिक निकाय होगी.

(२) पदेन सदस्यों से भिन्न, इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा.

(३) विद्या परिषद्, शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगी तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो कि अध्यादेश में विहित किए जाएं.

विद्या परिषद् का गठन.

२४. विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(एक) विश्वविद्यालय का कुलपति — अध्यक्ष;
(दो) संकायाध्यक्ष, अध्ययन विभाग;
(तीन) निदेशक, विस्तार तथा प्रशिक्षण;
(चार) संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण;
(पांच) ग्रंथपाल;
(छह) वित्त नियंत्रक;
(सात) विभागाध्यक्ष;
(आठ) दो ख्याति प्राप्त सामाजिक विज्ञानी शासी निकाय के अशासकीय सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;
(नौ) विश्वविद्यालय का कुल सचिव — सचिव

विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.

२५. विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख विद्या संबंधी निकाय होगी तथा उसकी निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे :—

(एक) प्रवेश, शिक्षण के मानकों, परीक्षा, मूल्यांकन, अध्येतावृत्तियों, फीस, छूट, उपस्थिति, अनुशासन, शैक्षणिक समुन्नति और शैक्षणिक उत्कृष्टता आदि के लिए अध्यादेश बनाना तथा उनमें संशोधन करना, जिससे कि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके;

(दो) विश्वविद्यालय के समस्त विद्या संबंधी मामलों जैसे शिक्षा, गवेषणा विस्तार तथा प्रशिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विनिमय कार्यक्रमों आदि के संबंध में परामर्श करना, योजना बनाना, परिचालन, पर्यवेक्षण, मानीटर तथा प्रबंध करना;

(तीन) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं की उपाधियों तथा उपाधिपत्रों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय की उपाधियों तथा उपाधिपत्रों के संबंध में समतुल्यता अवधारित करना;

(चार) परिसर में, जिसमें सम्मिलित हैं केन्द्र तथा विभाग, परीक्षा, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और शास्ति तथा दण्ड, आचरण, परिवीक्षा, समय-पालन आदि, अनुशासन तथा शालीनता बनाए रखने के लिए छात्रों के लिये विनियम बनाना;

(पाँच) शैक्षणिक कार्यक्रम और कलेण्डर, शिक्षण पाठ्यक्रम अनुमोदित करना तथा विश्वविद्यालय की वृहत् शैक्षणिक नीतियां निर्धारित करना जिसमें पाठ्यचर्या विकास, अध्ययन बोर्ड के माध्यम से समय-समय पर पाठ्यक्रम विरचित करना तथा पुनरीक्षित करना सम्मिलित है;

(छह) विद्या संबंधी मामलों के संबंध में समस्त ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जैसे कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों;

(सात) शासी निकाय या कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी विषय पर, रिपोर्ट करना;

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

वित्त समिति.

२६. (१) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक)	कुलपति	—	अध्यक्ष (चेयरपर्सन);
(दो)	विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष/निदेशक		
(तीन)	विश्वविद्यालय का कुल सचिव		
(चार)	विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक	—	सचिव

(२) वित्त समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

(३) वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, विचार तथा समीक्षा हेतु वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे तथा तत्पश्चात् संशोधनों सहित या बिना संशोधन के कार्य परिषद् के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किए जाएंगे.

प्राध्ययन स्कूल.

२७. (१) उतनी संख्या में, अध्ययन स्कूल होंगे जितनी शासी निकाय द्वारा अवधारित किए जाएं और उतनी संख्या में प्राध्ययन केन्द्र तथा विभाग होंगे, जितनी कि कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए.

(२) पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आरंभिक तौर पर विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अध्ययन स्कूल होंगे :—

(एक) डॉ. अम्बेडकर विचार और दर्शन स्कूल;
(दो) सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन अध्ययन स्कूल;
(तीन) कृषि और ग्रामीण विकास स्कूल;
(चार) शिक्षा और कौशल विकास स्कूल;
(पांच) विधि और सामाजिक न्याय स्कूल;

(३) शासी निकाय स्कूल गठित कर सकेगी और कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर केन्द्रों तथा विभागों को स्थापित कर सकेगी.

(४) प्रत्येक अध्ययन स्कूल का एक संकायाध्यक्ष होगा जो ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा जैसी कि विनियमों में विहित की जाए.

(५) प्रत्येक अध्ययन स्कूल ऐसे विभागों से मिलकर बनेगा जो कि अध्यादेशों द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं.

(६) प्रत्येक अध्ययन स्कूल का एक अध्ययन बोर्ड होगा जो ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसा कि अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाए.

(७) अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे कि अध्यादेश द्वारा विहित किए जाएं.

निदेशालय.

२८. सुसंगत परिनियमों के उपबंधों के अधीन विहित किए गए अनुसार विश्वविद्यालय के निदेशालय स्थापित किए जाएंगे, जिनके द्वारा विश्वविद्यालय, अनुसंधान, विस्तार तथा प्रशिक्षण गतिविधियां, सुसंगत आध्यादेशों के अधीन स्थापित साामाजिक विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से संचालित करेगा.

परिनियम.

२९. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं विषयों के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(एक) स्कूल, निदेशालयों तथा संस्थाओं का सृजन;
(दो) शासी निकाय का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उससे संबंधित अन्य विषय;
(तीन) कार्य परिषद् का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उससे संबंधित अन्य विषय;
(चार) विद्या परिषद् का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उससे संबंधित अन्य विषय;
(पांच) कुलपति की नियुक्ति, निबंधन तथा शर्तें, वेतनमान तथा उपलब्धियां, शक्तियां तथा कृत्य;
(छह) शासी निकाय के अनुमोदन से कोई अन्य विषय.

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३०. विश्वविद्यालय, समय-समय पर, नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों को निरसित कर सकेगा:

परंतु प्रत्येक नया परिनियम या परिनियमों में कोई परिवर्धन या किसी परिनियम का संशोधन या निरसन, शासी निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा.

अध्यादेश.

३१. विश्वविद्यालय समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये अध्यादेश बनाएगा, अर्थात् :—

(एक) अध्ययन पाठ्यक्रम, प्रवेश, शिक्षण मानक, परीक्षाओं का संचालन, मूल्यांकन, अध्येतावृत्तियां, फीस, छूट, उपस्थिति, अनुशासन, शैक्षणिक समुन्नति तथा शैक्षणिक उत्कृष्टता जिससे के विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके;

(दो) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली उपाधियां, उपाधिपत्र, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टिताएं तथा उनके लिए अर्हताएं;

(तीन) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के लिये ली जाने वाली परीक्षाएं;

(चार) विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक कार्यों जैसे शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार तथा प्रशिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विनिमय कार्यक्रम आदि का पर्यवेक्षण, मानीटरिंग तथा प्रबंधन;

(पांच) आचार संहिता, नियम संहिता, अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा विद्यार्थियों के लिए समिति;

(छह) विविध तथा अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा, अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाने हों या उपबंधित किए जाएं.

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३२. प्रथम प्रशासनिक तथा शैक्षणिक अध्यादेश, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे तथा इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित करवाए जाएंगे:

परन्तु ऐसे अध्यादेशों में किसी संशोधन की दशा में, उक्त संशोधन अनुमोदन की तारीख से लागू होगा.

विनियम.

३३. विश्वविद्यालय, इस अधिनियम से अनअसंगत विश्वविद्यालय के संकाय और अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द के लिए नियुक्ति, सेवा के निबंधन तथा शर्तों, वेतन तथा भत्तों, सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं, पेंशन, उपदान आदि के लिये अपने स्वयं के विनियम बनाएगा.

विनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३४. विश्वविद्यालय, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त विनियम बना सकेगा या विनियमों को संशोधित या उन्हें निरसित कर सकेगा:

परन्तु प्रत्येक नए विनियम या विनियम में कोई अभिवृद्धि या किसी विनियम में कोई संशोधन या निरसन, कार्य परिषद् के अनुमोदन से किया जाएगा.

वार्षिक रिपोर्ट.

३५. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कार्य परिषद् को ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जैसी कि विहित की जाए प्रस्तुत की जाएगी.

लेखाओं की संपरीक्षा.

३६. (१) विश्वविद्यालय के लेखे, प्रति वर्ष कम से कम एक बार, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए लेखा संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे. लेखाओं की संपरीक्षा महालेखाकार द्वारा भी की जा सकेगी.

(२) संपरीक्षा लेखाओं की एक प्रति संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ अनुमोदन के लिए कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.

(३) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कार्य परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित संपरीक्षित लेखाओं की और संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् बारह मास से अनधिक के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जाएगी.

विश्वविद्यालय की निधि.

३७. (१) विश्वविद्यालय निधि के नाम से विश्वविद्यालय की एक निधि होगी और इसकी समस्त प्राप्तियां इसमें जमा की जाएंगी तथा विश्वविद्यालय के समस्त भुगतान उसमें से किए जाएंगे.

(२) विश्वविद्यालय निधि के निम्नलिखित भाग होंगे या इसमें संदत्त किए जाएंगे.—

(एक) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा कोई भाड़ा, अभिदाय या अनुदान;

(दो) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेन्ट्स) तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हों;

(तीन) समस्त स्त्रोतों से प्राप्तियां, जिसमें फीस तथा प्रभार सम्मिलित हैं;

(चार) विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां जैसे अध्यापन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, विस्तार, सेमिनार, परिसंवाद, कार्यशाला आदि के लिए समस्त स्त्रोतों से प्राप्त निधियां; तथा

(पांच) विश्वविद्यालय द्वारा किसी वैध स्त्रोत से प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियां.

(३) विश्वविद्यालय निधि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी.

उपाधि तथा उपाधिपत्र.

३८. विश्वविद्यालय निम्नलिखित उपाधियां प्रदान करेगा, अर्थात् :—

(एक) साहित्य में डाक्टरेट (डी. लिट.) या विज्ञान में डाक्टरेट (डी.एससी.) या विधि में डाक्टरेट (एल.एल.डी.);

(दो) दर्शन शास्त्र में डाक्टरेट (पीएच.डी.);

(तीन) दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर (एम. फिल.);

(चार) कला, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, विधि, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, वाणिज्य, प्रबंधन तथा सहबद्ध विषयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि;

(पांच) ऐसी अन्य डाक्टरेट उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि या पत्रोपाधि स्नातक उपाधि या प्रमाण-पत्र जैसे कि विनियामक प्राधिकरणों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के माध्यम से विहित किए जाएं.

सम्मानिक उपाधियां.

३९. सम्मानिक उपाधियां प्रदान करने का कोई भी प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा कार्य परिषद् को किया जाएगा तथा यदि कार्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो पुष्टि के लिये कुलाधिपति की सहमति ली जाना अपेक्षित होगी.

उपाधियों इत्यादि का प्रत्याहरण.

४०. विद्या परिषद्, कम से कम दो तिहाई से अनिम्न सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किसी विशेष संकल्प द्वारा, उचित तथा पर्याप्त कारण से, विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता या उसे प्रदत्त किसी प्रमाण पत्र या उपाधिपत्र का प्रत्याहरण कर सकेगी:

परन्तु ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह कारण बताने का अवसर प्रदान करते हुए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित किया जाए, लिखित में एक सूचना पत्र न दे दिया जाए तथा जब तक उसकी आपत्तियों, यदि कोई हों तथा किसी साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विद्या परिषद् द्वारा विचार न कर लिया जाए.

कठिनाईयों का दूर किया जाना.

४१. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम से अनसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों.

अस्थायी उपबंध.

४२. इस अधिनियम तथा परिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(एक) मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल, डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) के अध्यक्ष को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में पदाभिहित किया जाएगा;

(दो) महानिदेशक, डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) को पांच वर्ष की बची हुई अवधि अथवा ७० वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में पदाभिहित किया जाएगा. पश्चात्वर्ती कुलपति परिनियमों में यथाविहित रीति में नियुक्त किया जाएगा.

(तीन) शासी निकाय, कार्यपरिषद् तथा विद्या परिषद् के सदस्य, कुलपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

(चार) डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) की समस्त आस्तियां, अभिलेख तथा दायित्व, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से विश्वविद्यालय की आस्तियां, अभिलेख तथा दायित्व हो जाएंगे.

संरक्षण.

४३. विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के संबंध में, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या जिसका इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित रहा है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी और न ही उनसे कोई नुकसानी का दावा किया जाएगा.

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध

४४. (१) यदि राज्य सरकार का किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यह कि ऐसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें वर्णित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (२), (३), (४) और (५) के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के रूप में निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को लागू होंगे,

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है), नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और कालावधि की वृद्धि, जैसा वह उचित समझे, इस प्रकार कर सकेगी कि अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो जाए,

(३) नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारित करने वाला कुलपति इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है नियत तारीख से अपना पद रिक्त करेगा और कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी होने के साथ-साथ कुलपति को नियुक्त करेगा जो अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान पद धारण करेगा :

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति की नियुक्ति करेगा और वैसी ही रीति में कुलाधिपति द्वारा हटाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किए रह सकेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(४) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(एक) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किए हुए हो, उस पद पर नहीं रह जाएगा;

(दो) जब तक यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का पुनर्गठन न हो जाए तब तक उपधारा (३) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किए गए हों:

परन्तु कुलाधिपति यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किए गए कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए एक ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा, जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे.

(५) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, कुलपति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिए कार्यवाही और करेगा और इस प्रकार गठित की गई कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाए, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, कार्य करना प्रारम्भ कर देगी:

परन्तु यदि कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाए, तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए उस समय तक करेगा, जब तक कि यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाए.

अधिक्रमण तथा व्यावृत्ति.

४५. डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) के विनियम अर्थात् संगम ज्ञापन तथा समय-समय पर यथा संशोधित विनियम दिनांक २ मार्च १९९८, इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उनके प्रारम्भ की तारीख से अधिष्ठित हो जाएंगे:

परंतु इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) में की गई समस्त नियुक्तियां, जारी की गई समस्त अधिसूचनाएं साथ ही साथ आदेश, प्रदान किए गए विशेषाधिकार या संगम ज्ञापन तथा विनियमों के अधीन की गई कोई अन्य बातें इस अधिनियम तथा परिनियमों के अधीन क्रमश: की गई नियुक्तियां, जारी की गई अधिसूचनाएं व आदेश, प्रदान किए गए विशेषाधिकार या की गई बातें समझी जाएंगी.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४६. (१) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ४ सन् २०१५) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) में कार्य कर रहा है. राज्य सरकार का आशय संस्थान का विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन करना है. विश्वविद्यालय स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के साथ सामाजिक विज्ञान परिप्रेक्ष्य एवं सृजनात्मक उपागम के एकीकरण द्वारा सामाजिक विज्ञान एवं अन्य संबद्ध विषयों में उच्च शिक्षा, गवेषणा, विस्तार और प्रशिक्षण को प्रोन्नत करना है. सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में गवेषणा, शिक्षण और विस्तार गतिविधियों को गति देने के लिये यह आवश्यक है कि संस्थान को विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाए जिससे यह स्वतंत्र रूप से शिक्षण, गवेषणा, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर सके.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ४ सन् २०१५) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान मण्डल का अधिनियम "कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध" से संबंधित खण्ड ४४ को अन्त:स्थापित करने के उपान्तरण के साथ लाया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ८ दिसम्बर, २०१५

उमाशंकर गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित''

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०१५ की धारा ३७ के प्रावधान के क्रियाशील होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर वर्ष २०१५-१६ में राशि रुपये ५.५० करोड़ तथा वर्ष २०१६-१७ में राशि रुपये ७.०५ करोड़ आवर्ति एवं अनावर्ति व्यय संभावित है.

इसके लिये वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की गई है.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०१५ के जिन खण्डों द्वारा विश्वविद्यालय को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है उनका विवरण निम्नानुसार है :

खण्ड ३ विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन;

खण्ड ४ विश्वविद्यालय के लक्ष्य तथा उद्देश्य;

खण्ड ५ विश्वविद्यालय की अधिकारिता;

खण्ड ६ विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध;

खण्ड ७ विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य;

खण्ड ८ कुलाधिपति एवं उनकी शक्तियां

खण्ड ९ कुलपति की नियुक्ति एवं शक्तियां

खण्ड १०-१५ विश्वविद्यालय के अधिकारियों का चयन एवं शक्तियों से संबंधित प्रावधान

खण्ड १६ विश्वविद्यालय के प्राधिकारी-शासी निकाय, कार्य परिषद्, वित्तीय समिति और अन्य ऐसे प्राधिकारी जो विनियमों द्वारा विहित किए जाने के लिए;

खण्ड १७ शासी निकाय का प्रावधान;

खण्ड १८ शासी निकाय का गठन;

खण्ड १९ शासी निकाय की शक्तियां तथा कृत्यों के निर्वाहन;

खण्ड २० कार्य परिषद् का प्रावधान;

खण्ड २१ कार्य परिषद् के गठन;

खण्ड २२ कार्य परिषद् की शक्तियों तथा कृत्यों का निर्वाहन;

खण्ड २३ विद्या परिषद् का प्रावधान;

खण्ड २४ विद्या परिषद् के गठन;

खण्ड २५ विद्या परिषद् की शक्तियों तथा कृत्यों का निर्वाहन;

खण्ड २६ वित्त समिति का प्रावधान;

खण्ड २७ प्राध्ययन स्कूल एवं प्राध्ययन केन्द्र तथा विभाग गठित;

खण्ड २८ अनुसंधान विस्तार तथा प्रशिक्षण गतिविधियों के लिये निदेशालय का प्रावधान;

खण्ड २९ स्कूल, निदेशालयों तथा संस्थाओं का सृजन एवं विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के गठन, कृत्य एवं शक्तियों के लिए परिनियम का प्रावधान;

खण्ड ३० परिनियम बनाने का प्रावधान;

खण्ड ३१ अध्ययन, पाठ्यक्रम, प्रवेश, शिक्षण मानक, परीक्षा का संचालन, मूल्यांकन, उपाधियां इत्यादि के लिए अध्यादेश का प्रावधान;

खण्ड ३२ अध्यादेश बनाने की प्रक्रिया;

खण्ड ३३ कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए नियुक्ति, सेवा के निबंधन तथा शर्तों, वेतन तथा भत्तों इत्यादि के लिए विनियम का प्रावधान;

खण्ड ३४ विनियम बनाने की प्रक्रिया;

खण्ड ३५ विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया;

खण्ड ३६ लेखाओं की संपरीक्षा के लिए प्रावधान;

खण्ड ३७ विश्वविद्यालय निधि एवं संचालित करने का प्रावधान;

खण्ड ३८ उपाधियां तथा उपाधि पत्र देने का प्रावधान;

खण्ड ३९ सम्मानिक उपाधियां देने का प्रावधान;

खण्ड ४० उपाधियों इत्यादि का प्रत्याहरण करने का प्रावधान;

खण्ड ४१ अधिनियम में कठिनाईयों को दूर करने का प्रावधान;

खण्ड ४२ डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने पर कुलाधिपति, कुलपति एवं अन्य प्राधिकारी, अधिकारी, अभिलेख तथा दायित्वों के अस्थायी उपबंध;

खण्ड ४३ विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राधिकारियों या अधिकारियों के लिए संरक्षण का प्रावधान; तथा

खण्ड ४४ कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध;

सुनिश्चित किए जाने के संबंध में नियम बनाए जाएंगे जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन करना है. विश्वविद्यालय स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य समाज के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के साथ सामाजिक विज्ञान परिप्रेक्ष्य एवं श्रजनात्मक उपागम के एकीकरण द्वारा सामाजिक विज्ञान एवं अन्य संबद्ध विषयों में उच्च शिक्षा, गवेषणा, विस्तार और प्रशिक्षण को प्रोन्नत करना है.

शिक्षण सत्र को दृष्टिगत रखते हुए विधान बनाना आवश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. इस प्रयोजन के लिए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश, २०१५ (क्र. ४ सन् २०१५) दिनांक १४ अगस्त, २०१५ को राज्यपाल द्वारा प्राख्यापित किया गया.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.